प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 05 **सितम्बर, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों में एन0एम0सी0 शुल्क व अन्य शुल्क भुगतान हेतु मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु भुगतान मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/410, दिनॉक 24.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों में एन0एम0सी0 शुल्क व अन्य भुगतान हेतु मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु भुगतान मद में कुल रू0 152.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजस्व पक्ष लेखाशीर्षक 2210-05-789-03- राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज, सहारनपुर एंव अम्बेडकर नगर हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कुल धनराशि **रू0 152.00 लाख (रू0 एक करोड़ बावन लाख मात्र)** की निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृति (प्रस्तर-3 एवं संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जाएगी।
4. स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में होने वाला

लेखाशीर्ष: 2210057890301 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2210057890301 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	72,50,000 (रुपये बहत्तर लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**72,50,000 (रुपये बहत्तर लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210057890304 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, सहारनपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2210057890304 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, सहारनपुर	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	68,00,000 (रुपये अड़सठ लाख मात्र)
	कुल			**68,00,000 (रुपये अड़सठ लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210057890305 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2210057890305 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	11,50,000 (रुपये ग्यारह लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**11,50,000 (रुपये ग्यारह लाख पचास हजार मात्र)**

महायोग	1,52,00,000 (रुपये एक करोड़ बावन लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2 / 2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by सत्य प्रकाश सिंह
Date: 05-09-2023 15:00:22
Reason: Approved

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या/तद्यदिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, यथा-कन्नौज/सहारनपुर/अम्बेडकरनगर।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज यथा-कन्नौज/सहारनपुर/अम्बेडकरनगर।
5. उप सचिव (श्री त्रिपाठी), चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, यथा-कन्नौज/सहारनपुर/अम्बेडकरनगर।
7. समाज कल्याण विभाग।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग- 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/ स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A071-2022-23-71-1001-099-485-2021-

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों में एन0एम0सी0 शुल्क व अन्य शुल्क भुगतान हेतु मानक मद-16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2210057890302 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई, जालौन)	01-वेतन	29,79,62.000 रूपये उन्तीस करोड़ उनासी लाख बासठ हजार मात्र	1,52,00,000 रूपये एक करोड़ बावन लाख मात्र	1,52,00,000 रूपये एक करोड़ बावन लाख मात्र		28,27,62,000	2023-24

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2210057890304 (राजकीय एलौपैथिक मेडिकल कालेज, सहारनपुर)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	6,00,000 रूपये छह लाख मात्र	68,00,000 रूपये अडसठ लाख मात्र		74,00,000	2023-24

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

083	2210057890301 (राजकीय एलौपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	5,00,000 रूपये पांच लाख मात्र	72,50,000 रूपये बहत्तर लाख पचास हजार मात्र		77,50,000	2023-24
083	2210057890305 (राजकीय एलौपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	3,00,000 रूपये तीन लाख मात्र	11,50,000 रूपये ग्यारह लाख पचास हजार मात्र		14,50,000	2023-24

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजस्व पक्ष मानक मद-01-वेतन मद में उक्तानुसार रू0 152.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कन्नौज के पत्र दिनांक-23.08.2023, प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज,सहारनपुर के पत्र दिनांक-23.08.2023, प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर के पत्र दिनांक-24.08.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में एन0एम0सी0 आवदेन शुल्क, अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय को एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु सम्बद्धता शुल्क एंव अन्य Affliation and Inspection fee जमा कराये जाने हेतु उक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु भुगतान में कुल रू0 152.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष उक्तानुसार कुल रू0 152.00 लाख का पुनर्विनियोग की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-बजट-1-71-2023-24, दिनांक- 04 अगस्त, 2023

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

(पवित्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या/दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by सत्य प्रकाश सिंह
Date: 05-09-2023 15:30:36
Reason: Approved

(सत्य प्रकाश सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।